न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 50/2023

अपीलांट–	***बनाम***	**रेस्पोडेंट–**
उदाराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी रोहिला पटवार क्षेत्र लुखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		1. गंगाराम पुत्र भारमलराम 2. चनणाराम पुत्र भारमलराम 3. श्रीराम पुत्र भारमलराम 4. ठाकराराम पुत्र धीमाराम 5. प्रतापाराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी रोहिला पटवार क्षेत्र लुखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 6. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 153 दिनांक 25.01.2022 जो तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री मनोज पारीक, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल पूनड़, रेस्पोडेंट संख्या 1व2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3से5 सूचना बावजूद अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 प्रर्फोमा पक्षकार

निर्णय

दिनांक : 26.11.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा ग्राम रोहिला पटवार क्षेत्र लूखू के खसरा नंबर 222 रकबा 22.6705 हैक्टेयर किस्म बा0 सो0 में से 2–18 बीघा भूमि के समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 25.01.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा ग्राम रोहिला पटवार क्षेत्र लूखू के खसरा नंबर 222 रकबा 22.6705 [illegible] भूमि के खातेदारान उदा पुत्र धीमा, गंगाराम पुत्र भारमल [illegible] पुत्र धीमा, प्रतापा पुत्र धीमा, श्रीराम पुत्र भारमल जाति [illegible] रोहिला पटवार क्षेत्र [illegible] जिला बाड़मेर ने दिनांक 19.01.2022 को तहसील[illegible] धोरीमन्ना के समक्ष [illegible]-पत्र प्रस्तुत कर 2–18 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:56:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया तथा प्रकट किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। उक्त खातेदारान की पहचान सरपंच ग्रा.पं. रोहिला पूर्व पं.सं. धोरीमन्ना एवं हल्का पटवारी लूखू द्वारा की गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिन्होंने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में से 2–18 बीघा भूमि समर्पण का निवेदन किया है। उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 153 दिनांक 25.01.2022 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.10.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 से 5 के सयुंक्त कब्जे काश्त की भूमि ग्राम रोहिला पटवार क्षेत्र लूखू के खसरा नंबर 222 रकबा 22.6705 हैक्टेयर का आया हुआ है। उतरदाता संख्या 1 से 5 ने अपीलांट को बिना जानकारी के ही उक्त भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करने हेतु आवेदन तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष पेश किया। उक्त समर्पण पत्र पर अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देने एवं कुटरचित हस्ताक्षर कर एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। लिहाजा अपीलाधीन आदेश विधिनुरूप न होने से उक्त आदेश खारिज फरमाने योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि वर्तमान मे अरसा कुछ पूर्व उतरदाता संख्या 1से5 द्वारा उक्त [illegible] रास्ते पर जबरन ग्रेवल सड़क बिछाने का प्रयास किया [illegible] अपीलांट ने मना किया तो उतरदाता संख्या 1से5 ने धमकी दी कि [illegible] रास्ता निकलवा दिया लिया है इसलिए अब हम ग्रेवल सड़क बिछायेगे जिस पर अपीलांट को अपने हक हकुक

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:56:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

संशयप्रद लगे। इस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकलें प्राप्त की जो उन्हें दिनांक 22.09.2023 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील अन्दर मयाद दर्ज करने का निवेदन किया गया है।

6. रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा ग्राम रोहिला पटवार क्षेत्र लूखू के खसरा नंबर 222 रकबा 22.6705 हैक्टेयर भूमि के सभी खातेदारान ने तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के समक्ष दिनांक 19.01.2022 को तहसीलदार धोरीमन्ना उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 2–18 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया । पक्षकारान की पहचान हल्का सरपंच ग्रा.पं रोहिला पूर्व द्वारा की गई एवं व हल्का पटवारी लूखू द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि भूमि खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज हैं, मौके पर खाली है, उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं एवं न ही कोई वाद विचाराधीन है, किसी भी प्रकार से विवादग्रस्त नहीं हैं। उक्त भूमि कटाण मार्ग पर प्रस्तावित हैं तथा सार्वजनिक समाज के समस्त वर्गों के उपयोग में काम आयेगी। अतः इस भूमि को समर्पण हेतु स्वीकार किया जाना उचित हैं। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं खातेदार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2022 पारित किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडन्ट्स द्वारा यह भी प्रकट किया गया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील तकरीबन 2 वर्ष के अन्तराल बाद प्रस्तुत की गई है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ मयाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा ग्राम ग्राम रोहिला पटवार क्षेत्र लूखू के खसरा नंबर 222 रकबा 22.6705 हैक्टेयर भूमि के खातेदार अपीलांट उदा पुत्र धीमा एवं रेस्पोडेंट्स गंगाराम पुत्र भारमल, चनणाराम पुत्र भारमल, ठाकरा पुत्र धीमा, प्रतापा पुत्र धीमा, श्रीराम पुत्र भारमल जाति विश्नोई निवासी रोहिला पटवार क्षेत्र लूखू जिला बाड़मेर ने दिनांक 19.01.2022 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 2–18 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्रा.पं. रोहिला पूर्व द्वारा की गई हैं। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में रेस्पोडेंट द्वारा अपीलाधीन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर समर्पण

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:56:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कार्यवाही की गई हों, उपलब्ध रेकर्ड से आधारहीन प्रतीत होता हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 153 दिनांक 25.01.2022 पारित किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडन्ट्स द्वारा यह प्रकट किया गया कि समर्पण की गई उक्त भूमि कटाण मार्ग हेतु प्रस्तावित हैं तथा सार्वजनिक उपयोग में काम आयेगी। अपीलांट द्वारा उक्त अपील तकरीबन 2 वर्ष के अन्तराल बाद प्रस्तुत की गई है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ मयाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हैं कि अपीलांट स्वंय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि को रास्ते के बाबत समर्पण हेतु बिना शर्त समर्पण किये जाने का इकरारनामा प्रस्तुत किया गया हैं। इस इकरारनामा में दो गवाहन की मौजूदगी एवं हल्का पटवारी की पहचान के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समर्पण स्वीकार किया गया हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी खातेदारी भूमि में से 2–18 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पित करते हुए कब्जा छोड़ना प्रकट किया है जिसमें अपीलांट स्वयं द्वारा सहमति प्रकट की गई है ऐसे में सहमति से भूमि समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध 2 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है। लिहाजा अपीलांट की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:56:12 IST
Reason: SelfAttested